राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 9(28)राज–6/17/14 जयपुर दिनांक 06/11/17

समस्त, जिला कलक्टर
राजस्थान।
समस्त, उपखण्ड अधिकारी
राजस्थान

–:परिपत्र:–

विषयः– इण्डियन टेलिग्राफ राईट ऑफ वे रूल्स 2016 के अन्तर्गत इन्सटॉलेशन/लेईंग ऑफ टेलिग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन अरबन एण्ड रूरल एरियाज।

संदर्भः– नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आदेश प0 10(147) नविआ/3/2008/पार्ट–III दिनांक 06.02.2017, संशोधन समसंख्यक आदेश दिनांक 09.02.2017 एवं आदेश दिनांक 01.8.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा Simplification of process for permission to be given to licensee for installation/laying of telegraph infrastructure in urban and rural areas के संबंध में संदर्भित आदेश दिनांक 06.02.2017 जारी किया गया है।

संदर्भित आदेश दिनांक 06.02.2017 के खण्ड 2(सी) में उपखण्ड अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु आदेश दिनांक 06.02.2017 ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र दोनो में ही समान रूप से प्रभावी है।

इस संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प. 2(231)राजस्व/भू0रू0/2009 दिनांक 23.08.2012 के अतिरिक्त समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने क्षेत्राधिकार के भीतर टेलीकॉम लाईसेंसधारियों को इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्थात् टावर आदि स्थापना हेतु नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करें। इस संबंध में आवेदन शुल्क एवं वार्षिक उपयोग प्रभार की राशि प्रथमत: राजस्व मद में एवं राजस्व मण्डल से प्राप्त निर्देशानुसार उप–मद में जमा कराया जाये। कृपया इस संबंध में अन्य आवश्यक कार्यवाही नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 06.02.2017 एवं संदर्भित आदेशों के अनुसार सुनिश्चित करावें।

6/11/17
(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. संयुक्त सचिव–1 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को उनके पत्र प0 10(147)नविआ/3/2008/पार्ट–III दिनांक 01.08.2017 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, सचिवालय जयपुर।
3. निदेशक स्वायत शासन विभाग जयपुर।
4. समस्त टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर्स एवं आई.पी. प्रोवाईडर्स।

6/11/17
संयुक्त शासन सचिव